उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 48/2017/2209/41-2017-01 गठन/2017

लखनऊः दिनांक- 28 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

शासनादेश संख्या-42/2017/2090 / 41-2017-26 सा0/2017, दिनांक 22 सितम्बर, 2017 द्वारा गठित ब्रज तीर्थ विकास परिषद् में उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा 8 की उपधारा 3 में किये गये प्रावधानों तथा शासनादेश संख्या-1659/41-2017-26 सा0/2017, दिनांक 24 अगस्त, 2017 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ब्रज तीर्थ विकास परिषद् को विधिक मामलों में सलाह देने के लिये श्री राजेश सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा, अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को "विधि सलाहकार" के पद पर नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ब्रज तीर्थ विकास परिषद् में नामित विधि सलाहकार अपने वर्तमान पद के साथ विधि सलाहकार के पद के दायित्वों के निर्वहन सुनिश्चित करेंगे तथा इस कार्य हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन/भत्ता आदि देय नहीं होगा। ब्रज तीर्थ विकास परिषद् का मुख्यालय मथुरा में होने के दृष्टिगत एक राजकीय वाहन (चालक एवं ईधन सहित) राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा तथा सुरक्षा के दृष्टिगत एक सशस्त्र पुलिसकर्मी गृह विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

अवनीश कुमार अवस्थी

प्रमुख सचिव

संख्या- 48/2017/2209(1)/41-2017 दिनांक 28 सितम्बर, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. उपाध्यक्ष ब्रज तीर्थ विकास परिषद्, मथुरा/ कैम्प कार्यालय, लखनऊ।

-2-

3. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. ब्रज तीर्थ विकास परिषद् के सदस्यगण एवं सदस्य सचिव।
7. प्रमुख सचिव, गृह विभाग।
8. प्रमुख सचिव/सचिव राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, पर्यटन, उ0प्र0 शासन/महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ।
12. श्री राजेश सिंह, अपर विधि परामर्शी, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम, लि0, लखनऊ।
15. मण्डलायुक्त, आगरा/जिलाधिकारी आगरा/जिलाधिकारी मथुरा।
16. उपाध्यक्ष मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
17. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
18. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।